

-: नोटिस :-

विषय:- फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में ।

केन्द्रीय बिक्रीकर नियमावली 1957 के नियम-8 के उपनियम (13) के प्राविधान के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने/ नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई । किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा ।

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	कुल संख्या
1.	सर्वश्री सुभाष ट्रैक्टर्स, बैंक रोड, गोरखपुर टिन नं०-09318702230	फार्म सी सं०- 0450281, 0450282	व्यापारी द्वारा खोये गये	02

६०

(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।**पू०प०सं० व दिनांक उक्त /****प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. अधीक्षक, मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र0 प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
2. अपर मुख्य सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0 शासन सचिवालय, लखनऊ ।
3. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, 30प्र0 शासन सचिवालय, लखनऊ ।
4. समस्त आयुक्त, वाणिज्य कर/आबकारी एवं कराधान आयुक्त भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्रशासित संघों को।
5. महालेखाकार 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, निकट मा० उच्च न्यायालय, प्रयागराज, 30प्र0 211001
6. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, 30प्र0 को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगाये तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।

7. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उ०प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करे।
8. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील), वाणिज्य कर, उ०प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
9. समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा व्यापारी संघों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
10. ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्या०कार्य०), वाणिज्य कर, प्रयागराज/ लखनऊ।
11. डिप्टी कमिश्नर(आई०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त असिस्टेंट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी चाहे जिस कार्य में लगे हों।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
14. विधि अनुभाग(मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय।



(दिनेश कुमार वर्मा)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।